भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1729

दिनांक 02 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

स्थानीय निकाय के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

†1729. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पंचायती राज मंत्रालय ग्राम पंचायत समितियों और जिला परिषदों के निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रिशक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है;

(ख) यदि हां; तो ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए चयनित किए गए संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय स्थानीय स्वशासन के निर्वाचित सदस्यों के लिए कॉर्पोरेट संस्कृति प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने पर विचार करेगा, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) वर्ष **2018-19** से क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना के तहत , मंत्रालय राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को पंचायतों को सशक्त करने से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है जिसमें पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) शामिल है। इस योजना में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके राज्य द्वारा नामित संस्थानों, जैसे कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडीज)/

पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (पीआरटीआईज) के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रावधान हैं।

(ग) और (घ) आरजीएसए की योजना के केंद्रीय घटक के तहत, शैक्षणिक संस्थानों /क्षमता निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रीय संस्थानों /उत्कृष्ट संस्थानों/ ग्रामीण विकास और पंचायती राज के राष्ट्रीय संस्थानों (एनआईआरडी और पीआर), हैदराबाद के सहयोग से कार्य करने पर कार्यक्रम केंद्रित है ताकि बेहतर प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जा सके जिसमें ई-मॉड्यूल्स, ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मोबाइल ऐप, मुद्रित सामग्री, सर्वोत्तम प्रथाओं पर लघु फिल्में और अधिक आउटरीच के लिए सोशल मीडिया टूल का लाभ उठाना आदि शामिल है। प्राथमिकता दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को दी गई है ताकि क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आउटरीच और कवरेज को बढाया जा सके।

****